सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 134 / 2016

बउनवान

बेजनाथ आयु 70 वर्ष पुत्र श्री नारायण जाति किराड धाकड निवासी मुसई गुजरान उपतहसील कवाई तह0 अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1– राजेश बाई पत्नि सुन्दरलाल जाति किराड निवासी मूसई गुजरान उपतहसील कवाई तह0 अटरू जिला बारां।

2– राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार अटरू तहसील अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 269 दि. 22.12.2010 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री रधुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 269 दिनांक 22.12.2010 वाके ग्राम पांडुहेली से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 18.03.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू से मूल इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी इस न्यायालय को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

प्रकरण मे सर्व प्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम पांडूहेली उप तहसील कवाई में खाता सं0 101 में खसरा नं0 377 की रकबा 1.55 हेक्टर मे से 1 / 2 अपीलान्ट व 1 / 2 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के दर्ज है। रेस्पो0 क्रम 1 ने अपीलांट के भाई भैरूलाल से उसका हिस्सा 1 / 2 आज करीब 12–13 वर्ष पूर्व खरीद लिया था। अपीलांट व उसके भाई भैरूलाल के मध्य आज से 30–35 साल पूर्व आपसी बटवारा हुआ था। जिसके अनुसार भैरूलाल दक्षिण दिशा की 1 / 2 तथा अपीलांट बेजनाथ उत्तर दिशा की 1 / 2 भूमि मौके पर काश्त करते आ रहे है। क्योकि उक्त आराजी में पूर्व दिशा की ओर खाल निकल रहा है। इस कारण अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बटवारा

हुआ था। उसी अनुसार दोनों भाई काश्त करते थे तथा वर्तमान में भी अपीलांट व राजेश बाई मौके पर काश्त करते आ रहे है। क्योकि भैरूलाल द्वारा उक्त आराजी का बेचान मौखिक बटवारा अनुसार ही किया था।

रेस्पों0 क्रम 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त इंतकाल खुलवाते समय इंतकाल में गलत दिशाये अंकित करवा दी। उक्त इंतकाल के समय अपीलांट से कोई सहमति नही ली गयी थी ना ही इस बाबत अपीलांट को कोई जानकारी दी। जब अपीलांट को उक्त तथ्यों की जानकारी हुयी थी, तो अपीलांट ने राजेश बाई से इस बाबत कहा उसने कहा जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नही हो सकता तथा मैं अब इंतकाल अनुसार ही जमीन को काश्त करूगी तथा जो रोकेगा उसको जान से मरवा दूँगी। उक्त आराजी को रहन बय रिकार्ड अनुसार करके रहूँगी। इस प्रकार उक्त खोला इंतकाल अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर बटवारा इंतकाल संख्या 269 दिनांक 22.12.2010 नायब तहसीलदार अटरू द्वारा खोला गया। उक्त इंतकाल निरस्त फरमाया जाकर बटवारा अनुसार सही दिशाये अंकित करते हुये इंतकाल खोला जाने का आदेश प्रदान करे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल 269 दिनांक 22.12.2010 उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर पूर्ण अवलोकन किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आपसी बटवारा के आधार पर सहमति से खोला गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा फर्द के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 64/2012 मे अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट बउनवान राजेशबाई बनाम बेजनाथ निर्णय दिनांक 27.4.2015 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 269 दिनांक 22.12.2010 वाके ग्राम पांडुहेली तहसील अटरू तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। उक्त इंतकाल अपीलांट एवं उसके भाई भैरूलाल के मध्य सहमति बटवारा के आधार पर खोला गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट यह साबित करने मे विफल रहे है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा इंतकाल खुलवाते समय इंतकाल में गलत दिशाये अंकित करवा दी गई है। अपीलांट और उसके भाई भैरूलाल के मध्य सहमति बटवारा के संबंध मे विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कोई लिखित/हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने मे विफल रहे है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट की सहमति मे बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय मे तथ्य छिपाऐ गये है। इस न्यायालय मे स्वच्छ हाथो से नही आऐ है। चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की प्रति अथवा कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इंतकाल मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ